



Neutral Citation No.- 2026:AHC:19228

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-23244 वर्ष 2025

मोन् @ मोन् कुमार आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: शैलेंद्र कुमार सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर हलफ़नामा दायर करने का प्रस्ताव नहीं किया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य के लिए श्री वीकेएस परमार, अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने मुकदमा लंबित रहने के दौरान धारा 302, 201, 394 भ०द०वि०, थाना-लंका, ज़िला: वाराणसी के तहत अपराध संख्या-324 वर्ष 2023 में ज़मानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है। यहां तक कि 19.8.2023 तक शव की भी पहचान नहीं हो पाई थी। सूचनाकर्ता पूर्व प्रधान का बेटा है और उसका उक्त घटना से कोई लेना-देना नहीं है। ट्रक के चालक ने 16.8.2023 को थाना-में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और वहां उसे उसी दिन पुलिस द्वारा शव के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन उसने थाना-मुगल सराय से उक्त शव की पहचान करने की परवाह नहीं की। बल्कि, वह 19.8.2023 को ही शव की पहचान करने के लिए मुर्दाघर गए। शव की पहचान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने में तीन दिनों की उक्त देरी उक्त ट्रक के चालक की संलिप्तता को दर्शाती है, इस प्रकार, चालक के इस बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि उसने मृतक को 200 रुपये देकर सब्जियां लाने के लिए कहा है।

6. आगे यह कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज से संकेत मिलता है कि आवेदक मृतक के साथ अपनी साइकिल चला रहा था, लेकिन उक्त स्थान शव की बरामदगी के स्थान से बहुत दूर है, इस प्रकार, यह झूठे निहितार्थ का एक स्पष्ट मामला है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 22.8.2023 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों पर विवाद नहीं किया जा सकता है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

9. आवेदक- मोनू @ मोनू कुमार, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

27 जनवरी, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.